राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 28/2023 निगरानी

1. मांगीलाल पुत्र हीरालाल ढोली निवासी आटुण तह–भीलवाडा
2. सुनीता पुत्री हीरालाल ढोली पत्नी सत्यनारायण ढोली निवासी चारभुजा मन्दिर, सुभाषनगर, मलाण, भीलवाडा
3. गुडडी बाई पुत्र स्व हीरालाल ढोली पत्नी रमेश ढोली निवासी बोराव जिला चितौडगढ
4. निर्मला बाई पुत्र स्व हीरा लाल ढोली पत्नी माता लाल गन्धर्व जाति ढोली निवासी ग्राम सावन कोट मोहल्ला, सावन, नीमच, मध्य प्रदेश

–निगराकार

बनाम

1. मन्जू पत्नी मांगी लाल ढोली निवासी आटुण तह–भीलवाडा
2. ग्राम पंचायत आटुण जरिए ग्राम विकास अधिकारी
3. ग्राम पंचायत आटुण जरिए सरपंच

–गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतराज अधिनियम 1994 विरूद्ध ग्राम पंचायत आटुण द्वारा जारी पट्टा संख्या 32, दिनांक 6–03–2018

उपस्थित – 1. श्री पुनीत कुमार शर्मा, अधिवक्ता निगराकार

निर्णय

दिनांकः– 06/04/2026

निगराकार अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी अनुसार गैर निगराकार संख्या 02 एवं 03 द्वारा गैर निगराकार संख्या 01 के साथ मिलीभगती कर गैर निगराकार सख्या 01 की पुश्तैनी जायदाद नहीं होते हुए भी गैर निगराकार सख्या 01 के पक्ष में आबादी हल्का आटूण ग्राम पंचायत आटूण तहसील एवं जिला भीलवाड़ा मे नपती पूर्वी भुजा 8 फीट, पश्चिमी भुजा 23 फीट, उत्तरी भुजा 30 फीट, दक्षिणी 32 फीट जिसके पडौस पूर्व मे रास्ता, पश्चिम में प्रताप सिंह पुत्र श्री भवानी सिंह राजपूत, उत्तर में नन्द लाल पुत्र श्री भैरू दरोगा, दक्षिण में रास्ता का अपने पक्ष में निगराकारान के फर्जी हस्ताक्षर कर अपने पक्ष में पट्टा जारी करवा लिया, जो अवैध होकर निरस्तनीय है। निगराकारान की पुश्तैनी जायदाद आबादी हल्का आटूण ग्राम पंचायत आटूण तहसील एवं जिला भीलवाड़ा में स्थित है, जिसकी नपती पूर्वी भुजा 8 फीट, पश्चिमी भुजा 23 फीट, उत्तरी भुजा 30 फीट, दक्षिणी भुजा 32 फीट होकर वर्तमान पडौस पूर्व रास्ता, पश्चिम प्रताप सिंह पुत्र श्री भवानी सिंह राजपूत, उत्तर– नन्द लाल पुत्र श्री भैरू दरोगा, दक्षिण रास्ता उक्त जायदाद जो कि निगराकारान की पुश्तैनी होकर उक्त जायदाद का पूर्व में ग्राम पंचायत आटूण पं.सं. सुवाणा जिला भीलवाड़ा द्वारा प्लॉट नम्बर 58 दिनांक 17/12/1985 को निगराकारान के पिता हीरा लाल पुत्र श्री तुलछीराम ढोली के पक्ष में अनुसूचित जाति एवं

6.4.26
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अनु. जन जाति, कारीगरो लघु व सीमान्त कृषको आबादी भूमि/अ. भूमि मे से निःशुल्क आवासीय आवटन भूखण्ड का तत्कालीन पडौस अनुसार पट्टा जारी किया गया है। जिस पर हीरा लाल ढोली काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे व हीरा लाल जी ढोली का दिनांक 22/07/2019 को मृत्यु हो गयी, उनकी मृत्यु उपरान्त उनके विधिक वारीसान निगराकारान काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग कर रहे है। इस प्रकार उक्त जायदाद का पट्टा जारी होने के बाद दुबारा पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है। पट्टे शुदा भूमि का दुबारा पट्टा गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष में जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध होने से अपास्त होने योग्य है। गैर निगराकार संख्या 01 द्वारा उक्त आवासीय भूमि का पट्टा उक्त जायदाद जो कि अपनी पुश्तैनी होना बताकर व अपना 50 वर्ष पुराना कब्जा होना बताकर पट्टा हेतु आवेदन किया है, जबकि तत्समय व वर्तमान में भी गैर निगराकार संख्या 01 की आयु 50 वर्ष भी नहीं है व गैर निगराकार सख्या 01 का ससुराल है व पति निगराकार संख्या 01 जीवित है, पति के जीवनकाल में पत्नी को कोई हक अधिकार प्राप्त नही होता है। उक्त जायदाद गैर निगराकार संख्या 01 की पुश्तैनी नहीं होते हुए भी गैर निगराकार संख्या 01 द्वारा गैर निगराकार संख्या 02 एवं 03 से मिलीभगती कर फर्जी तरीके से गुपचुप तरीके से उक्त पट्टा जारी किया है व पट्टाधारी हीरा लाल के जीवित होते हुए उसके जीवन काल में ही उसकी पट्टशुदा जायदाद का दुबारा पट्टा प्राप्त किया है, जो विधि विरुद्ध होने से अपास्त होने योग्य है। पत्रावली में पडौसी की सहमति एवं अनापति प्रमाापत्र जो कि पट्टा पत्रावली में पेश है जिसमे पडौसी गौरी शंकर पुत्र श्री नन्दा दरोगा निवासी– आटूण का पेश किया गया है, जबकि उक्त पडौसी के हस्ताक्षर भी नहीं है व न ही वार्डपंच के हस्ताक्षर है व पटवारी रिपोर्ट मे पटवारी के हस्ताक्षर व तारीख अंकित नहीं है। मामले मे भाई/बहन/माता/पिता का सहमति एवं अनापत्ति प्रमाणपत्र पेश किया है, जिस पर निगराकारान के फर्जी एवं कूटरचित हस्ताक्षर कर फर्जी तैयार किया गया है, जिनको गैर निगराकार सख्या 01 के भाई बहिन होना बताया गया है, जबकि उक्त सभी गैर निगराकार संख्या 01 के भाई बहिन नही होकर पति व ननदे है। फर्जी सहमति पत्र बताकर पुश्तैनी जायदाद का फर्जी पट्टा गैर निगराकार संख्या 02 एवं 03 से मिलीभगती कर गैर निगराकार संख्या 01 की पुश्तैनी जायदाद नही होते हुए भी तथाकथित पट्टा जारी करवाया ह। जिस मकान का पट्टा जारी किया गया वह गैर निगराकार सख्या 01 का पुश्तैनी मकान की परिभाषा में नहीं आता है, क्योकि गैर निगराकार सख्या 01 हीरा लाल की विधिक वारीस नहीं होकर उनके पुत्र मांगी लाल की पत्नी है तथा पति के जीवित अवस्था मे कोई हक अधिकार प्राप्त नही होता है। उक्त जायदाद का निगराकारान के पिता के पक्ष में पट्टा जारी होने के बाद दुबारा पट्टा जारी नही हो सकता है व हीरा लाल का गैर निगराकार संख्या 01 वारीस नही होते हुए भी उक्त पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध होने से अपास्त होने योग्य है। ग्राम पंचायत के संरपच व सचिव द्वारा गैर निगराकार सख्या 01 को पट्टा जारी करने मे राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 142 से 158 के प्रावधानो की पालना नहीं की गई। गैर निगराकार संख्या 02 एवं 03 द्वारा नियम 141 के अनुसार निलामी के माध्यम से विक्रय नहीं किया गया, बल्कि ही एक ही दिन मे घर पर बैठकर पत्रावली बनाकर फैसल कर दी. जिबकी नियम 145 (3) के तहत आवेदन के साथ स्थल निरीक्षण के पेटे 25/– रूपये व नियम 145 (3) के तहत आवेदन के साथ स्थल नक्शा संलग्न नहीं किया हो तो आवेदक नक्शा तैयार करने के लिए 25/–रूपये जमा कराना अनिवार्य होता है। जबकि गेर निगराकार सख्या 01 ने ऐसा कोई शुल्क भी जमा नहीं कराया। जिससे भी स्पष्ट होता है कि नियम 145 क्रय के लिए आवेदन की पालना गैर निगराकार संख्या 02 एंव 03 ने नही कर मात्र गैर निगराकार संख्या 01 को नाजायज फायदा पहुंचाने के लिए निर्णय कर पट्टे की स्वीकृति जारी कर दी गई। ग्राम पंचायत गैर निगराकार संख्या 02 एवं 03 ने नियम 147–148 की पालना भी विधिवत नही की न ही कोई ग्राम पंचायत आटूण व ग्राम आटूण में पट्टेशुदा भूमि के संबध मे पट्टा जारी करने बाबत सूचना बस स्टेण्ड या सहजदृश्य स्थान पर लगवायी गयी व न ही दो प्रतिष्ठित व्यक्तियो के उसे ऐसे लगाये जाने के प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर करवाये गये।

6-4-26

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

निगराकारान स्व० हीरा लाल ढोली के पुत्र पुत्री होकर उनके प्रथम श्रेणी के विधिक वारीस है तथा विरासत से स्व० हीरा लाल जी की जायदाद पर निगराकारान का ही हक हिस्सा व स्वामित्व निहित होता है। गैर निगराकार सख्या 01 निगराकार संख्या 01 की पत्नी होकर स्व० हीरा लाल की पुत्रवधु है तथा पति के जीवित रहते पत्नी को कोई अधिकार पैतृक जायदाद में उत्पन्न नही होता है तथा उक्त प्रश्नगत पट्टा बनाये जाते समय तो स्वयं श्री हीरा लाल ढोली जीवित थे तो ऐसी स्थिति मे गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष में गैर निगराकार सख्या 02 एवं 03 को पट्टा जारी करने का कोई अधिकार नही था, फिर भी गैर निगराकार संख्या 02 एवं 03 ने गैर निगराकार संख्या 01 से मिलाभगती कर बिना निगराकारान की जानकारी व सहमति के तथा बिना हीरा लाल जी की जानकारी के विधि विरूद्ध तरीके से उक्त प्रश्नगत पट्टा बनाया है, जो विधि में पोषणीय नही होकर अपास्त होने योग्य है। उक्त पट्टे की जानकारी निगराकारान को नही थी व हाल ही मे माह दिसम्बर 2022 में गैर निगराकार सख्या 01 एक ने निगराकारान को जायदाद से बेदखल करने की कोशिश की व पट्टा जारी करा लेने से अन्य को विकय, हस्तांतरण करने की बात कही, जिस पर जानकारी करने पर उक्त जानकारी हुई है। गैर निगराकार संख्या 01 द्वारा उक्त जायदाद से निगराकारान को जबरन बेदखल करने व पट्टा अपने नाम पर जारी होने से अन्य को रहन, विक्रय, हस्तांतरण करने की धमकी दी, जिसे भी रोका जाना न्यायोचित एंव आवश्यक है। उक्त अवैध पट्टे की जानकारी जानकारी होते ही उक्त निगरानी पेश की गई है

अतः माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि निगराकार की यह निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर, गैर निगराकार संख्या 01 एक के पक्ष में जारी तथाकथित पट्टे को निरस्त कराया जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किए। विपक्षी–1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध 19.02.2026 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाने के आदेश पारित किए गए थे।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया गया कि निगरानी मियाद बाहर व सारहीन होने के कारण अस्वीकार योग्य ठहरती है। अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम मियाद बाहर व सारहीन होने से अस्वीकार की जाती हैं।

निर्णय आज दिनांक 06.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

6.4.26

(रणजीत सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा